

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल.
क./बोर्ड/यो.गै.तक./77/2018-19/1120 भोपाल, दिनांक 30/08/2018
प्रति,


सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति.....(समरस्त)
जिला(म.प्र.)

विषय :— मंडी प्रांगण में कृषकों एवं हम्माल/तुलावटियों को रूपये 5/-प्रति थाली भोजन योजना में संशोधन के संबंध में।
संदर्भ:— मण्डी बोर्ड मुख्यालय का पत्र कमांक/बोर्ड/यो.गै.तक./77/2018-19/891-892 दिनांक 24/05/2018
—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र द्वारा "अ" एवं "ब" वर्ग की मंडियों में कृषकों एवं हम्माल/तुलावटियों के भोजन के लिये मण्डी समितियों को दी जाने वाली प्रति कृषक हम्माल/तुलावटी अधिकतम राशि 15/-रूपये मण्डी समिति वहन करने "स" वर्ग की मंडियों में अधिकतम 15/-रूपये की सबसिडी की राशि 50 प्रतिशत मण्डी समिति तथा शेष 50 प्रतिशत मण्डी बोर्ड वहन करने "घ" वर्ग की मण्डी में अधिकतम 15/- रूपये प्रति कृषक हम्माल/तुलावटी के मान से अनुदान की शतप्रतिशत राशि मण्डी बोर्ड द्वारा अनुदान के रूप में वहन किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रति थाली भोजन की निविदा दर अधिकतम राशि रूपये 20/- होगी जो दिनांक 24/05/2018 से पूर्व में निष्पादित निविदाओं पर लागू नहीं होगी। उक्त निविदाओं की दरें अनुबंध अवधि समाप्ति तक निविदा दर राशि रूपये 15/- ही रहेगी। संदर्भित आदेश नवीन निविदाओं पर लागू होगा। योजना की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)


अपर संचालक (योजना)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 भोपाल

क. / बोर्ड / यो.गै.तक. / 77 / 2018–19 / 1121 भोपाल, दिनांक 30/08/2018
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल.
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल.
3. अपर संचालक(समर्त) / प्रमुख अभियन्ता, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल.
4. संयुक्त संचालक / उपसंचालक (समर्त) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल.
5. संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....(समर्त)(म.प्र.), तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।


अपर संचालक (योजना)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल